मेरठ विकास प्राधिकरण

की

56वीं बोर्ड बैठक

दिनॉक 30–3–98

का

कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की बैठक दिनाँक 30-3-98

समय : 2-00 बजे अपरान्ह

स्थान : आयुक्त सभाकक्ष

उपस्थिति :

1-	श्री एम०रामचन्द्रन	आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ ।	अध्यक्ष
2-	मौह० इफतखारुद्दीन	उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, मेरठ ।	उपाध्यक्ष
3-	श्री संजय अग्रवाल	जिलाधिकारी, मेरठ ।	सदस्य
4-	श्री चन्द्र हास शर्मा	मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, मेरठ ।	सदस्य
5-	श्री चन्द्र सिंह	अपर निदेशक, उद्योग, मेरठ	
6-	श्री अमित अग्रवाल	मा०विधायक, मेरठ छावनी	सदस्य
7-	श्री महेश सिंघल	जनप्रतिनिधि	सदस्य
8-	श्री प्रमांशु	उप आवास आयुक्त (आवास आयुक्त, लखनऊ के प्रतिनिधि)	सदस्य
9-	श्री एस०बी०जौहरी	संयुक्त निदेशक, कोषागार, मेरठ । (सचिव वित्त विभाग, उ०प्र०शासन, लखनऊ के प्रतिनिधि)	सदस्य
10-	श्री वी०के०गुप्ता	सहयुक्त नियोजक (आयुक्त - एन०सी०आर०के प्रतिनिधि)	सदस्य
11-	श्री ए०के०गुप्ता	अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र०जलनिगम, मेरठ । (मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ के प्रतिनिधि)	सदस्य
12-	श्री एस०बी०दफतरदार	सहयुक्त नियोजक (मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के प्रतिनिधि)	सदस्य
13-	श्री एम०ए०गणपति	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ ।	विशेष आमंत्री
14-	श्री असीम अरुण	सहायक पुलिस अधीक्षक, मेरठ ।	विशेष आमंत्री
15-	श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह	अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मेरठ ।	विशेष आमंत्री
16-	श्री लालजी चौधरी	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, मेरठ ।	विशेष आमंत्री

मेरठ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनाँक 30-3-98 का कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरणकी बोर्ड बैठक दिनाँक 30-3-98 को आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ की अध्यक्षता में 2-30 बजे प्रारम्भ हुई । सर्वप्रथम बैठक में प्राधिकरण बोर्ड के अध्यक्ष महोदय तथा माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया । बैठक में निम्न अधिकारी/जनप्रतिनिधि उपस्थित थे :-

क्र.सं.	अधिकारी/जनप्रतिनिधि का नाम	पदनाम	प्राधिकरण बोर्ड में पद
1-	श्री एम०रामचन्द्रन	आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ ।	अध्यक्ष
2-	मौह० इफतखारुद्दीन	उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, मेरठ ।	उपाध्यक्ष
3-	श्री संजय अग्रवाल	जिलाधिकारी, मेरठ ।	सदस्य
4-	श्री चन्द्र हास शर्मा	मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, मेरठ ।	सदस्य
5-	श्री चन्द्र सिंह	अपर निदेशक, उद्योग, मेरठ	
6-	श्री अमित अग्रवाल	मा०विधायक, मेरठ छावनी	सदस्य
7-	श्री महेश सिंघल	जनप्रतिनिधि	सदस्य
8-	श्री प्रमांशु	उप आवास आयुक्त (आवास आयुक्त, लखनऊ के प्रतिनिधि)	सदस्य
9-	श्री एस०बी०जौहरी	संयुक्त निदेशक, कोषागार, मेरठ । (सचिव वित्त विभाग, उ०प्र०शासन, लखनऊ के प्रतिनिधि)	सदस्य
10-	श्री वी०के०गुप्ता	सहयुक्त नियोजक (आयुक्त - एन०सी०आर०के प्रतिनिधि)	सदस्य
11-	श्री ए०के०गुप्ता	अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र०जलनिगम, मेरठ । (मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ के प्रतिनिधि)	सदस्य
12-	श्री एस०बी०दफतरदार	सहयुक्त नियोजक (मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के प्रतिनिधि)	सदस्य
13-	श्री एम०ए०गणपति	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ ।	विशेष आमंत्री
14-	श्री असीम अरुण	सहायक पुलिस अधीक्षक, मेरठ ।	विशेष आमंत्री
15-	श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह	अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मेरठ ।	विशेष आमंत्री
16-	श्री लालजी चौधरी	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, मेरठ ।	विशेष आमंत्री

टिप्पणी :-

क्रमांक 13, 14, 15 तथा 16 पर अंकित अधिकारीगणों को नगरीय यातायात नियोजन व्यवस्था सम्बन्धी विशेष अतिरिक्त मद पर विचार-विमर्श हेतु आमन्त्रित किया गया ।

मद संख्या - 1

मेरठ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनाँक 17-9-97 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

प्राधिकरण की विगत बैठक दिनाँक 17-3-97 के कार्यवृत्त की पुष्टि हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

जिलाधिकारी, मेरठ के द्वारा प्राधिकरण की गत बैठक में बजट प्रस्तावों की स्वीकृति के अन्तर्गत जे० सी० बी० मशीन क्रय किये जाने, भूमि अधिग्रहण प्रस्तावों को जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष एवं मुख्य नगर अधिकारी की समिति द्वारा परीक्षण किये जाने एवं प्रतिकर भुगतान की व्यवस्था के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय का उल्लेख कार्यवृत्त में चर्चा के अनुसार नहीं होने के सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया गया । अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि कथित छूटे हुए बिन्दुओं के सम्बन्ध में इस बैठक में पुनः निर्णय लिया जायेगा और वस्तुतः बैठक का कार्यवृत अध्यक्ष के अनुमोदन से सभी सदस्यों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाना चाहिए कि यदि कार्यवृत के किसी अंश के सम्बन्ध में कोई विशेष बात कहनी हो तो नियत समय अन्दर अवगत कराया जाये ताकि तदनुसार कार्यवृत संशोधित किया जा सके और आगामी बैठक में कार्यवृत की पुष्टि स्वीकार्य संशोधनों के साथ की जानी चाहिए । भविष में इसी प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाये । इन निर्देशों के साथ गत बैठक दिनाँक 17-9-97 के कार्यवृत की पुष्टि की गयी ।

मद संख्या - 2

मेरठ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनाँक 17-9-97 में पारित विभिन्न प्रस्तावों की अनुपालन आख्या।

बोर्ड बैठक दिनाँक 17-9-97 में पारित विभिन्न प्रस्तावों की अनुपालन आख्या बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी। जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा मद संख्या - 3 के अन्तर्गत बोर्ड बैठक के निर्णयानुसार जे०सी०बी० मशीन क्रय न किये जाने और आगामी बर्ष के लिये तैयार किये गये बजट में भी एतदबिषयक प्राविधान न किये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया गया जिस पर निर्णय लिया गया कि आगामी बजट में एतदबिषयक प्राविधान करते हुए क्रय की कार्यवाही अवश्य कर ली जाये। श्री अमित अग्रवाल, माननीय विधायक द्वारा अनुपूरक मद संख्या - 7 के अन्तर्गत उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा उद्यमियों को आबंटित भूमि पर निर्माण हेतु विकास शुल्क के निर्धारण की प्रगति पूँछे जाने पर अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध में विगत बैठक में लिये गये निर्णयानुसार विकास शुल्क की गणना करने पर यह दर प्रस्तावित/प्रचलित दर रुपये 60/- प्रति वर्गमीटर से अधिक निकलने के कारण फिलहाल रुपये 60/- प्रति वर्गमीटर की दर से विकास शुल्क लिया जा रहा है किन्तु औद्योगिक संगठनों के साथ प्राधिकरण स्तर पर सम्पन्न बैठक में यह निर्णय लिया जा चुका है कि औद्योगिक मानचित्रों को देय विकास शुल्क का एक तिहाई लेकर स्वीकृत कर दिया जायेगा और शेष दो तिहाई धनराशि मय ब्याज दो छमाही किश्तों में अदा करने की सुविधा दी जायेगी। इस सूचना पर उपस्थित जन प्रतिनिधियों द्वारा कथित देय ब्याज न लिये जाने का प्रस्ताव रखा किन्तु बोर्ड द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि विकास शुल्क प्रचलित दर पर तीन किश्तों की उक्त सुविधा के साथ मय ब्याज ही लिया जायेगा और इस बिन्दु के अतिरिक्त उद्यमियों के अन्य समस्याओं के निराकरण हेतु उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण एवं अपर निदेशक उद्योग, संयुक्त रुप से क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू०पी०एस०आई०डी०सी० तथा औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक शीघ्र आयोजित करके आवश्यक कार्यवाही करेंगे। इन निर्णयों के साथ प्रस्तुत अनुपालन आख्या पर सन्तोष व्यक्त किया गया।

मद संख्या - 3

वित्तीय बर्ष 1997-98 के दौरान मेरठ विकास प्राधिकरण के कार्यकलापों के सम्बन्ध में प्रगति आख्या (दिनाँक 30-3-98 तक) ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मेरठ विकास प्राधिकरण के स्वामित्व में उपलब्ध भूमि एवं उसका उपयोग, विभिन्न योजनाओं की प्रगति, वित्तीय स्थिति शिविरों के माध्यम से जनसमस्याओं का निराकरण एवं परिसम्पत्तियों के निस्तारण की व्यवस्था, बल्क सेल हेतु किये गये प्रयासों तक प्राधिकरण द्वारा किये गये सौन्दर्यीकरण/विकास कार्यो से माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों को अवगत कराया गया । मदवार प्रगति विवरण पर विचार विमर्श के उपरान्त निम्न निर्णय/निर्देश पारित किये गये :-

1- मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अर्जित भूमि की उपयोगिता का परीक्षण उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, जिलाधिकारी, मेरठ की समिति द्वारा 31-5-98 से पूर्व अवश्य कर लिया जाये औरजिन योजनाओं में अर्जित/अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि की तत्काल आवश्यकता/उपयोगिता न हो, ऐसी भूमि को अर्जन से मुक्त करने हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जाये । विशेषकर वेदव्यासपुरी योजना अन्तर्गत बाईपास रोड के किनारे-किनारे अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग से भी पुष्टि करा ली जाये कि कहीं यह भूमि लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग के चौडीकरण हेतु अर्जित किया जाना प्रस्तावित तो नहीं है ।

2- प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में जिन क्षेत्रों में भवन/भूखण्डों की विक्रय शीलता बढाने हेतु विकास कार्य अपरिहार्य हैं उन्हीं क्षेत्रों में विकास कार्य करायें जायें ।

3- स्थापित योजनाओं में सीवर व्यवस्था का परीक्षण अधीक्षण अभियन्ता, जलनिगम, मुख्य नगर अधिकारी के प्रतिनिधि, जिलाधिकारी के प्रतिनिधि तथा उपाध्यक्ष मेरठ विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त रुप से किया जाये और जिन योजनाओं में जनसुविधाओं की दृष्टि से सुधार कार्य बाँछिनीय हो, सुस्पष्ट आख्या प्राधिकरण बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाये । भविष्य में प्राधिकरण द्वारा नगर निगम को रखरखाव हेतु उन्हीं

योजनाओं को हस्तान्तरित करने की कार्यवाही की जाये जिनमें जन सुविधाओं की सन्तोषजनक स्थिति होने के बिन्दु पर दोनो पक्ष सहमत हों ।

4- प्राधिकरण द्वारा भविष्य में आवासीय तथा अन्य योजनाओं प्रारम्भ करने से पूर्व जनसुविधाओं की प्रस्तावित व्यवस्था के बिन्दु पर मुख्य नगर अधिकारी, अधीक्षण अभियन्ता, जलनिगम/लोकनिर्माण विभाग/ विद्युत विभाग तथा सहायक नियोजक नगर एवं ग्राम नियोजन प्रभाग मेरठ की सहमति/अनापत्ति प्राप्त की जाये ।

5- मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा मेरठ वाईपास रोड पर मार्ग के किनारे विगत में भवन निर्माण की अनुमति कब और किस आधार पर दी गयी इसका परीक्षण करते हुए आख्या अगली बोर्ड बैठक में प्रस्तुत की जाये ।

6- प्राधिकरण के कार्य कलापों के सम्बन्ध में समय-समय पर प्राप्त होने वाले शासनादेश प्रत्येक अगली बोर्ड बैठक में बोर्ड के संज्ञानार्थ प्रस्तुत किये जायें ।

मद संख्या - 4

वित्तीय बर्ष 1998-99 के लिये आय-व्ययक प्रस्ताव ।

वित्तीय बर्ष 1998-99 के लिये आय-व्ययक प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया । सभी प्रस्तावों पर विचारोपरान्त निम्न संशोधनों/निर्देशों के साथ आय-व्ययक प्रस्ताव पारित किया गया ।

1- शमन शुल्क के मद में रुपया 200.00 लाख के प्राविधान को बढाकर रुपया 500.00 लाख किया गया ।

2- प्राधिकरण द्वारा लिया जा रहा मलवा शुल्क नियमानुसार नगर निगम को भुगतान किया जाये ।

3- प्राधिकरण के हस्तान्तरित कालोनियों के रखरखाव हेतु पृथक मद के रुप में धनराशि का प्राविधान कर लिया जाये ।

4- जे०सी०बी० मशीन क्रय करने हेतु वाहन क्रय मद में रुपया 16.00 लाख का प्राविधान करते हुए शीघ्र क्रय कर लिया जाये ।

5- भूमि अधिग्रहण मद में प्रस्तावित रुपया 1850.00 लाख के स्थान पर रुपया 3000.00 लाख का प्राविधान किया गया जिसका समायोजन विकास

कार्यो पर प्रस्तावित व्यय प्राविधान से किया जायेगा । यह भी निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण पर भूमि अधिग्रहण राशि की अत्यधिक देयता को दृष्टि में रखते हुए प्राधिकरण द्वारा प्रतिमाह रुपया 100.00 लाख अर्जन ईकाई को दिये जाने का प्रयास किया जाये ।

6- प्राधिकरण की योजनाओं के निकट स्थित ग्रामों के विकास के मद में प्रस्तावित व्यय राशि रुपया 5.00 लाख के स्थान पर रुपया 50.00 लाख किया गया तथा इसके समायोजन हेतु शहर के सौन्दर्यीकरण एवं पर्यावरण सुधार मद में रुपया 165.00 के स्थान पर रुपया 120.00 लाख का प्राविधान किया गया ।

7- निर्देश दिये गये कि बजट सीमाओं के अन्तर्गत ही व्यय किया जाये और मद परिवर्तन करते हुए किसी भी दशा में व्यय न किया जाये । यह भी निर्देश दिये गये कि उपरोक्त समायोजन/संशोधनों को समाहित करते हुए ही अनुपूरक बजट कालान्तर में प्रस्तुत किया जाये ।

8-वित्तीय संसाधन जुटाने हेतु सम्बन्धित समस्त अधिकारियें/कर्मचारियों द्वारा आय के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के विशेष प्रयास किये जायें ।

मद संख्या - 5

ग्राम नंगलाताशी में सैन्ट्रल बैंक कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति लि० की भूमि का भूउपयोग "कृषि हरित पटटी" से "आवासीय" में परिवर्तन की प्रार्थना के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुई । आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रतिनिधि द्वारा तकनीकी दृष्टि से प्रस्ताव स्वीकार्य न होने पर बल दिया गया जिसके प्रकाश में बोर्ड द्वारा प्रस्ताव निरस्त किया गया ।

मद संख्या - 6

मेरठ महायोजना-2001 में "कृषि हरित पटटी" भूउपयोग क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज के निर्माण की अनुमति हेतु।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। महायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित महायोजना मार्ग की चौडाई तथा ग्रीन वर्ज की सीमा में किसी प्रकार के निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी और प्रस्तुत किये गये कोल्ड स्टोरेज निर्माण के दो प्रस्तावों का परीक्षण महायोजना मार्ग, ग्रीन वर्जन, सैट बैक, परिसर के अन्दर पार्किग की पर्याप्त व्यवस्था, दूसरे कोल्ड स्टोरेज से दूरी तथा लोक निर्माण विभाग की अनापत्ति की दृष्टि से करते हुए उपाध्यक्ष द्वारा मानचित्र स्वीकृत करने हेतु निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में कोल्ड स्टोरोज के निर्माण के प्रस्तावों पर उक्त दृष्टियों से पूर्ण परीक्षण कराने के उपरान्त ही बोर्ड बैठक में स्वीकृति हेतु प्रस्ताव रखे जायेंगे।

मद संख्या - 7

ग्राम रामपुर पाबटी, बागपत रोड में लगभग 11.71 हैक्टेयर भूमि का भूउपयोग मेरठ महायोजना-2001 में निर्दिष्ट "कृषि हरित पट्टी" से "शैक्षिक संस्था" में परिवर्तन के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि क्षेत्र में मेडीकल कालेज की आवश्यकता/महत्ता को दृष्टि में रखते हुए पुनः विस्तृत प्रस्ताव आयुक्त, राजष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को पुनर्विचार हेतु प्रेषित किया जाये और उनकी आख्या प्राप्त होने परअगली बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

मद संख्या - 8

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ में अकेन्द्रीयत सेवा के कर्मचारियों को पेंशन, ग्रेच्युटी एवं सेवा निवृत्ति के समय देय अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा उपलब्ध कराया जाना।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। कर्मचारियों के हित को दृष्टि में रखते हुए नगर निगम मेरठ में पेंशन एवं ग्रेच्युटी सम्बन्धी लागू नियमावाली

को निम्न शर्तो के साथ मेरठ विकास प्राधिकरण के अकेन्द्रीयत सेवा के कर्मचारियों हेतु अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया :-

1- यह नियमावली मेरठ विकास प्राधिकरण में 1-4-98 से लागू मानी जायेगी और एतदबिषयक शासन का औपचारिक अनुमोदन भी प्राप्त कर लिया जायेगा । यदि शासन स्तर से इस सम्बन्ध में कोई सुझाव प्राप्त होते है तो उनका समावेश भी नियमावली में किया जायेगा और यदि शासन स्तर से एतदबिषयक नियमावली पृथक से लागू की जाती है तो तददिनाँक से यह नियमावली निष्प्रभावी हो जायेगी ।

2- मेरठ विकास प्राधिकरण का जो एक कर्मचारी बर्ष 1997 में सेवानिवृत्त हो चुका है, यदि उसके द्वारा भुगतान किये गये सी०पी०एफ० की धनराशि मय नियमानुसार देय ब्याज वापस कर दी जाये तो उसे भी इस नियमावली का लाभ अनुमन्य होगा ।

मद संख्या - 9

श्रीमती किरन जैन द्वारा प्रस्तुत मानचित्र संख्या 25/97 की स्वीकृति हेतु महायोजना में भूमि का भूउपयोग "कार्यालय" से "आवासीय" परिवर्तित किया जाना ।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया । भूउपयोग परिवर्तन के बिन्दु पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रतिनिध की सहमति मानते हुए प्रस्ताव स्वीकार किया गया और इस सम्बन्ध में शासन से अग्रेतर अनुमोदन प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया ।

मद संख्या - 10

वेदव्यासपुरी योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित "ट्रांसपोर्ट नगर" योजना की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गयी । योजना को सिद्धान्तत: स्वीकृति देते हुए निर्णय लिया गया कि योजना क्षेत्र को दिल्ली मार्ग से जोडने हेतु लिंक

रोड के निर्माणके लिये विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित किया जाये, ट्रांसपोर्टस से विचार विमर्श कर उनकी सहमति प्राप्त की जाये तथा भूउपयोग परिवर्तन हेतु शासन को औपचारिक प्रस्ताव प्रेषित किया जाये ।

मद संख्या - 11

पाण्डव नगर योजना के अन्तर्गत कम्युनिटी सेन्टर के निर्माण एवं तलपट मानचित्र में संशोधन के सम्बन्ध में ।

विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया । विचार विमर्श के दौरान यह उल्लेख आने परकि पाण्डव नगर योजनान्तर्गत भूमि के किसी क्षेत्र में आश्रयहीन एवं दुर्बल व्यक्तियों का अवैध कब्जा है, यह निर्णय लिया गया कि इसका परीक्षण कर लिया जाये और ऐसे आश्रयहीन व्यक्तियों को आश्रय योजना के अन्तर्गत अन्य योजनाओं में भवन आबंटित करते हुए उनके अवैध अध्यासन से प्राधिकरण की भूमि छुडवाई जाये ।

मद संख्या - 12

लोहिया नगर योजना में "सैक्टर सी" के भाग मे प्रस्तावित भूविन्यास मानचित्र के अनुमोदन के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव इस निर्देश के साथ अनुमोदित किया गया कि प्रस्तावित भूविन्यास मानचित्र में कूडाघर का प्राविधान अवश्य किया जाये ।

मद संख्या - 13

रक्षापुरम आवासीय योजना के अन्तर्गत बसन्त बिहार सहकारी आवास समिति की ग्राम अम्हेडा आदिपुर के खसरा संख्या - 382, 395 व 400 की भूमि समिति को दिये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया । उपाध्यक्ष द्वारा माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों को अवगत कराया गया कि प्राधिकरणमें सम्बन्धित संस्था द्वारा देय धनराशि जमा करने एवं आरोपित शर्तों को स्वीकार करने हेतु सहमत है । बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

मद संख्या - 14

प्राधिकरण की गंगानगर (एक्सटेंशन) योजनान्तर्गत प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनाँक 17-9-97 द्वारा अनुमोदित फार्म हाऊस की योजना को निरस्त करते हुए तत्सम्बन्धी भूमि को अधिग्रहण से मुक्त किया जाना।

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गयी। प्राधिकरण के समक्ष विद्यमान संकट को दृष्टि मेंरखते हुए प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद संख्या - 15

मेजर ध्यान चन्द्र नगर (स्पोर्टस गुडस काम्पलैक्स) योजनान्तर्गत स्पोर्टसगुडस उद्यमियों को आबंटित भूखण्डों पर आबंटन तिथि से दिनाँक 30-11-94 तक की अवधि का ब्याज माफ किया जाना।

विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद संख्या - 16

नगर के इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के प्रति योगदान सुनिशिचत करने के उद्देश्य से विकास प्राधिकरणों की कुछ स्त्रोतों से आय के निर्धारित अंश को इसप्रयोजन हेतु निर्दिष्ट करने बिषयक शासनादेश संख्या - 152/9-आ-1998 दिनाँक 15-1-98 के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गयी और निम्न निर्णय लिया गये:-

1- प्रस्ताव के बिन्दु-1 के सम्बन्ध में भूखण्डों के मूल्य में वृद्धि किये जाने हेतु प्राधिकरण की वर्तमान असमर्थता से शासन को अवगत कराते हुए मेरठ विकास प्राधिकरण पर इस प्रतिबन्ध को फिलहाल लागू न किये जाने हेतु अनुरोध किया जाये।

2- प्रस्ताव के बिन्दु-2 के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही के समय निर्माण कर्ता के प्रशनगत भूखण्ड पर स्वामित्व की दृष्टि से भी पुष्टि कर ली जाये ।

मद संख्या - 17

गंगानगर योजना में "ग्रामीण विकास एवं स्व नियोजन प्रशिक्षण संस्थान" को 1000 वर्गमीटर भूमि आबंटन के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि संस्था के पंजीकृत होने, उसके उददेश्य तथा कार्यकलापों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, मेरठ से जाँच करा ली जाये और उनके संस्तुति के आधार पर प्रस्तावित आबंटन की कार्यवाही की जाये ।

मद संख्या - 18

रक्षापुरम योजना में मेरठ स्टेडियम क्लब के निर्माण हेतु 1255 वर्गमीटर भूमि आबंटन के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि संस्था को प्रशनगत भूमि 90 बर्ष के लिये लीज पर उपलब्ध करायी जाये और लीज रैन्ट का भुगतान बार्षिक आधार पर किया जाये । संस्था भूमि का उपयोग सामुदायिक क्रिया कलापों के लिये ही करेगी और उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण को भी संस्था का पदेन सदस्य बनाये जाने तथा प्राधिकरण के अन्य अधिकारियों को एवं योजनान्तर्गत आवासीत आबंटियों को निर्धारित शर्तों के तहत सदस्यता दिये जाने हेतु संस्था द्वारा व्यवस्था की जाये ।

मद संख्या - 19

प्राधिकरण की शताब्दी नगर आवासीय योजना के सैक्टर-6 में श्रीमती रजनी राव को आबंटित भूखण्ड संख्या- ए/81 के बदले सैक्टर-2 में आबंटित भूखण्ड संख्या ए/121 पर दण्ड ब्याज की छूट तथा मात्र किश्तों की धनराशि पर साधारण ब्याज लिये जाने के सम्बन्ध में ।

विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

मद संख्या - 20

जनता कालोनी गढ रोड, मेरठ में श्री मुकेश रस्तोगी आदि द्वारा प्रस्तुत मानचित्र संख्या 491/97 स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रकरण सम्बन्धी मौके की व्यवहारिक परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। श्री मुकेश रस्तोगी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र को इस शर्त के साथ स्वीकृत/शमन करने का निर्णय लिया गया कि उन्हें अपने निर्माण का फैक्ट्री वाला अंश/उपयोग हटाना होगा।

मद संख्या - 21

कैथेलिक डायलेसिस ऑफ मेरठ के मानचित्र संख्या - 391/97 तथा 494/97 के अन्तर्गत 50 प्रतिशत विकास शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। शिक्षा के कल्याणकारी उददेश्य को दृष्टि में रखते हुए संस्था को पूर्व में दिये गये लाभ के क्रम में पुनः याचित लाभ दिये जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या - 22

श्री रामानन्द गोयल द्वारा प्रस्तुत मानचित्र संख्या - 248/96 में उपविभाजन शुल्क कम किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। श्री अमित अग्रवाल, माननीय विधायक ने उल्लेख किया कि इस प्राधिकरण में उपविभाजन शुल्क कदापि देय नहीं था। एतदबिषयक विस्तृत सूचनायें उपलबध न होने के फलस्वरुप इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय नहीं हो सका। फलतः निर्णय लिया गया कि माननीय विधायक द्वारा उठाये गये बिन्दु की दृष्टि से पुनः परीक्षण करते हुए प्रस्ताव अगली बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

मद संख्या - 23

मोहकमपुर औद्योगिक क्षेत्र में कम्युनिटी सेन्टर के निर्माण हेतु प्रस्तुत मानचित्र संख्या - 300/97 के अन्तर्गत सुदृढीकरण शुल्क मलवा शुल्क एवं मानचित्र शुल्क में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रकरण में देय मानचित्र शुल्क लिया जाये और सुदृढीकरण शुल्क माफ कर दिया जाये।

मद संख्या - 24

श्री प्रेमचन्द्र, आडीटर "साँई छाँव संस्था" द्वारा गंगानगर में भूखण्ड संख्या- सी 1/3, 1/4, 1/5 पर भवन निर्माण हेतु प्रस्तुत मानचित्र संख्या 203/97 के अन्तर्गत आरोपित शुल्क रुपये 17,488.50 माफ किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रशनगत निर्माण से सम्बन्धित भूमि विगत में प्राधिकरण द्वारा ही आबंटित किये जाने का तथ्य उजागर हुआ। इस शर्त के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया गया कि प्रशनगत निर्माण का भविष्य में व्यवसायिक उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा जिसके लिये संस्था से शपथपत्र लिया जायेगा और बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्माण करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाये जाने की दृष्टि से इस प्रकरण में प्रतीकात्मक शमन शुल्क रु० 100/- लेकर निर्माण शमन करने हेतु उपाध्यक्ष को अधिकृत किया गया।

मद संख्या - 25

गुरु नानक गर्ल्स इन्टर कालेज कंकरखेडा के मानचित्र संख्या 524/97 में सुदृढीकरण शुल्क, मलवा शुल्क एवं शमन शुल्क को माफ किये जाने के सम्बन्ध मे।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। निर्णय लिया गया कि चूँकि मलवा शुल्क नियमानुसार नगर निगम को देय है जिसे माफ करने हेतु बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाना उचित नहीं होगा, अतः इस प्रकरण में मलवा शुल्क लिया जाये और शेष देय धनराशि को माफ कर दिया जाये।

मद संख्या - 26

मानचित्र शुल्क में वृद्धि के सम्बन्ध में।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि दिनाँक 1-4-98 से मानचित्र शुल्क की दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाये जोकि 31-3-99 तक प्रभावी होगी। तदोपरान्त यथावश्यक संशोधन हेतु प्रस्ताव तत्समय बोर्ड बैठक में प्रस्तुत कियाजाये।

मद संख्या - 27

सरधना रोड रेलवे क्रासिंग से प्राधिकरण की श्रद्धापुरी योजना प्रथम चरण के तिराहे तक सडक को चौडा किया जाना।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। क्षेत्रीय आवश्यक की दृष्टि में प्रस्ताव पर सिद्धान्तत: सहमति व्यक्त की गयी और निर्णय लिया गया कि इसके क्रियान्वयन तथा बजट प्राविधान के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष स्तर से अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

मद संख्या - 28

मैसर्स इण्डस वैली प्रमोटर्स लि० की हर्ष नगर योजना में जब्त की गयी अग्रिम जमानत राशि रुपये पाँच लाख की वापसी के सम्बन्ध में।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण में डी०जी०सी० (सिविल) की राय भी प्राप्त कर अगली बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये। जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा चर्चा के दौरान यह भी उल्लेख किया गया कि इस प्रकरण मे निहित भूमि तथा ईब्ज सिनेमा के सामने स्थित नजूल भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में विवाद प्रतीत होता है। निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में भी जाँच कर तदनुसार अग्रेतर विधि सम्मत कार्यवाही की जाये और वस्तुस्थिति से बोर्ड को अवगत कराया जाये।

मद संख्या - 29

प्राधिकरण की पल्लवपुरम (एक्सटेंशन) सैनिक बिहार एवं डिफैन्स एन्क्लेब योजनाओं में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनाँक 30-4-97 के द्वाराअर्जित भूमि के प्रतिकर की दरों में हुई वृद्धि के फलस्वरुप योजनाओं की परिसम्पत्तियों के मूल्य में वृद्धि किया जाना।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। प्रस्तुत विवरण बोर्ड द्वारा अवलोकित किया गया और निर्णय लिया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के सन्दर्भित आदेश के प्रकाश में उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा देय अतिरिक्त धनराशि की सम्यक गणना कराते हुए अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

अनुपूरक मद संख्या - 1

न्यू मार्केट (लाजपत नगर मार्केट) में जीर्ण-क्षीर्ण भवनों को गिराकर भवन का पुनर्निर्माण अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध मे।

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण मे प्राधिकरण के संयुक्त सचिव, मुख्य नगर नियोजक, मेरठ विकास प्राधिकरण तथा सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन प्रभाग, मेरठ द्वारा संयुक्त रुप से स्थलीय निरीक्षण/परीक्षण किया जाये, समिति की आख्या उपाध्यक्ष के माध्यम से अध्यक्ष महोदय के अनुमोदनार्थ प्रेषित की जायेगी और अनुमोदन उपरान्त प्रस्तावानुसार स्वीकृति दी जायेगी।

अनुपूरक मद संख्या - 2

वैशाली कालोनी में नजूल भूमि से प्रभावित भूमि को छोडकर अन्य भूखण्डों के मानचित्र की स्वीकृति प्रदान किये जाने एवं शमन किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। चूँकि प्रकरण में नजूल भूमि से सम्बन्धित विवाद के निस्तारण हेतु कार्यवाही शासन-प्रशासन के स्तर पर

गतिमान है, अत: शेष भूखण्डों पर निर्माण करने वाले निर्माणकर्ताओं द्वारा अपना निर्माण शमन/नियमित करने हेतु उनकी इच्छा तथा अनाधिकृत कालोनियों में व्यक्तिगत मानचित्र स्वीकृत किये जाने बिषयक शासनादेश सं०-152/9-आ-9-1998 दिनाँक 15-1-98 के प्रकाश में निर्णय लिया गया कि नजूल भूमि से भिन्न भूमि पर किये गये अथवा किये जाने वाले निर्माण कार्यो से सम्बन्धित मानचित्र नियमानुसार देय शुल्क लेकर स्वीकृत कर दिये जायें। बैठक में उपस्थित श्री अमित अग्रवाल, माननीय विधायक से भी अनुरोध किया गया कि वे नजूल भूमि से सम्बन्धित विवाद के शीघ्र निस्तारण हेतु विशेष योगदान देने का कष्ट करें। बैठक में उपस्थित मुख्य नगर अधिकारी द्वारा यह इंगित किये जाने पर कि कालोनी में नगर निगम की नाली अथवा भूमि का कुछ अंश भी दबाया गया है, मुख्य नगर अधिकारी के इस मन्तव्य पर बोर्ड ने सहमति व्यक्त की कि कथित नगर निगम कीभूमि (नाली आदि पर अतिक्रमण) के सम्बन्ध में कालोनाईजर द्वारानगर निगम को भी भूमि का मूल्य दिया जाना चाहिए।

अनुपूरक मद संख्या - 3 लगायत 13

समयभाव के कारण अनुपूरक मद संख्या - 3 से लेकर 13 तक के प्रस्तावों पर विचार विमर्श नहीं हो पाया।

विशेष अतिरिक्त मद

विकास प्राधिकरण क्षेत्र में नगरीय यातायात नियोजन व्यवस्था में अपेक्षित सुधार किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।

यह प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष महोदय के विशेष निर्देश पर प्रस्तुत किया गया। प्रस्ताव पर बोर्ड के समस्त सदसें तथा विशेष आमन्त्रित अधिकारीगण के मध्य विस्तार से विचार विमर्श किया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि यह विषय नगरीय जनजीवन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण बिषय है जिस पर समय समय पर विचार विमर्श एवं आवश्यक कार्यवाही बाँछनीय है। अत: इस बिन्दु को प्राधिकरण बोर्ड की प्रत्येक बैठक में प्रस्तुत किया जाये ताकि इस सम्बन्धमें कृत कार्यवाहियों की प्रगति समीक्षा के साथ-साथ भविष्य

की आवश्यकताओं पर भी परिचर्चा हो सके । विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिये गये:-

1- नगरीय क्षेत्र में वाहनों के यातायात को सुसंचालित करने हेतु बेगम ब्रिज, हापुड अडडा, बागपत चौराहा तथा घंटाघर के निकट पार्किंग की उत्तम व्यवस्था बाँछनीय है । नगर निगम की अथवा राजकीय भूमि की उपलब्धता जिला प्रशासन एवं नगर निगम द्वारा सुनिशिचत की जायेगी और इन स्थानों पर बहुमंजिली पार्किंग स्थल विकसित करने की योजना विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार की जायेगी । पार्किंग स्थल के निर्माण के उपरान्त उसका संचालन ठेके पर किया जायेगा । इन स्थानों पर बस, हल्के वाहनों जैसे कार/टैम्पो, इक्के ताँगे तथा रिक्शे के लिये समुचित स्टेन्डस की व्यवस्था की जायेगी ।

2- विभिन्न मार्गों के किनारे पैदल यात्रियों के उपयोग हेतु बनाये गये फुटपाथ पर किये गये अतिक्रमण नगर निगम द्वारा हटाये जायेंगे ताकि पैदल यात्री फुटपाथ पर आवागमन कर सकें ।

3- विभिन्न चौराहों को विस्तृत करते हुए उनके सौन्दर्यीकरण का कार्य भी प्रारम्भ किया जायेगा । प्राथमिकता की दृष्टि से निर्णय लिया गया कि बच्चा पार्क स्थित चौराहा को चौडा करने/सुन्दर बनाने सम्बन्धी मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार की गयी योजना का क्रियान्वयन जनसहयोग से दिनाँक 2 अप्रैल, 1998 से प्रारम्भ कर दिया जायेगा । इस कार्य में होने वाली व्यय राशि की व्यवस्था समर्थ लोगों से कराने हेतु श्री अमित अग्रवाल, माननीय विधायक द्वारा आश्वासन दिया गया ।

4- नगर निगम द्वारा थापर नगर में नाले के बगल की सडक को सीधे दिल्ली से जोडने हेतु नाले के ऊपर स्लैब आदि डालकर उपरोक्त मार्ग का निर्माण कराया जाये । इस हेतु मानचित्र तैयार कर विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा ।

5- यातायात नियन्त्रण की दृष्टि से चौराहों परलगाये गये सिगनल लाईट, जिनमें कुछ खराब हैं, को ठीक करने हेतु अथवा अन्य चौराहों पर भी सिगनल लाईट लगाने हेतु समर्थ लोगों/संस्थाओं को प्रेरित किये जाने की दिशा में पुलिस विभाग द्वारा किये जा रहे प्रयासों को जारी रखा जायेगा तथा उपलब्ध सुविधाओं को सही हालत मेंरखने हेतु नगर निगम द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी । इस निमित्त जनसहयोग से एक रिवाल्विंग फण्ड सृजित करने के प्रयास भी किये जायेंगे ।

6- यातायात नियन्त्रण में सहयोग हेतु सिविल डिफैन्स संस्था को भी सक्रिय किया जायेगा और ट्रैफिक वार्डन के रुप में उनकी सेवायें ली जायेंगी ।

7- बच्चों में यातायात सम्बन्धी जागृति विकसित करने हेत "चिल्डर्न्स ट्रैफिक पार्क" स्थापित किया जायेगा । इस हेतु जिलाधिकारी, मेरठ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण तथा मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, मेरठ की समिति द्वारा स्थल चयन किया जायेगा । स्थल की उपयुक्तता की दृष्टि में सी०डी०ए० आफिस के सामने "जामुन वाला बाग" का प्रथम दृष्टया चयन किया गया जिसके सम्बन्ध में उक्त समिति द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जायेगा और तदोपरान्त प्राधिकरण द्वारा योजना तैयार की जायेगी । यह समिति यह भी तय करेगी कि नगरीय क्षेत्र में किन सघन आबादियों मे वन-वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू किया जाना आवश्यक है ।

विचार विमर्श के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड में उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण, सहारनपुर बतौर सदस्य नामित है, किन्तु वर्तमान में जिला सहारनपुर, मेरठ मण्डल के अन्तर्गत नहीं आता है और सम्बन्धत उपाध्यक्ष बैठक में प्राय: नहीं आते है । मेरठ विकास प्राधिकरण में लोक निर्माण विभाग का कोई स्थानीय अधिकारी सदस्य नामित नहीं है जबकि कतिपय मामलों में लोक निर्माण विभाग से भी समन्वय/सहयोग बाँछनीय होता है । अत: प्राधिकरण बोर्ड में उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण सहारनपुर के स्थान पर अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मेरठ को पदेन सदस्य नामित किये जाने हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा जाये ।

अन्त में उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण की ओर से माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्यगण तथा उपस्थित विशेष आमन्त्रित अधिकारीगण के प्रति आभार प्रकट किया गया और तदनुसार बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई ।

ह०/-
सचिव
विकास प्राधिकरण,
मेरठ ।

ह०/-
उपाध्यक्ष
विकास प्राधिकरण,
मेरठ ।

ह०/-
अध्यक्ष
विकास प्राधिकरण,
मेरठ ।